अध्याय - 1

नियुक्ति

विषय-सूची

नियुक्ति (अध्याय-1)

1.	राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में वृद्धि को दिनांक 31.12.2015 तक के लिए प्रभावी करने की स्वीकृति। संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-1-35/2001-2530 दिनांक 29.06.2010	3-4
2.	विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों की मूल कोटि में फीडर कैडर से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति। पत्रांक-7/पी०एस०सी०-2-7-13/2010 का०-5134 दिनांक 01.06.2010	4-5
3.	संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत। संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-31/2010-1718 दिनांक 06.05.2010	5-6
4.	बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन हेतु बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का सहयोग लिए जाने के संबंध में। संकल्प ज्ञापांक-7/च०प० 208/98-का०-2742 दिनांक 25.03.2010	6-7
5.	राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने के संबंध में। पत्रांक-3/आर-03/08 का०-2630 दिनांक 06.05.2008	8-16
6.	संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में। पत्रांक-3/एम-078/2005 का०-4467 दिनांक 17.12.2007	16-17
7.	विमान चालकों/अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समिति का गठन। पत्रांक-3/ एम-110/07 का०-2666 दिनांक 07.08.2007	17-18
8.	संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत । संकल्प ज्ञापांक-3/एम-78/2005-का०-2401 दिनांक 18.07.2007	19-21
9.	बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन। संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-63/2005 का०-2374 दिनांक 16.07.2007	22-24
10.	बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर समुचित कार्रवाई करने के संबंध में। पत्रांक-3/एम०-252/2006 का०-17 दिनांक 02.01.2007	25
11.	विभिन्न सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (character and antecedents) का सत्यापन के संबंध में। पत्रांक 3/एम-27/2006 का०-1859 दिनांक 08.07.2006	26-31
12.	राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में वृद्धि। पत्रांक-3/एम-1-35/2001-1735-का० दिनांक 22.06.2006	32-33
13.	अधियाचित रिक्तियों को अन्य स्रोतों, यथा-समायोजन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति आदि, से नहीं भरने के संबंध में। पत्रांक-3/एम-90/2006-का०-1532 दिनांक 03.06.2006	33-34
14.	वर्ग-3 की रिक्तियों एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचना/अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में । बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पत्रांक- 168/स० दिनांक 17.04.2006	35-39
15.	बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के सेवाओं/संवर्गों में भरती हेतु उम्र के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कट ऑफ डेट के निर्धारण के संबंध में। पत्रांक-3/एम-90/2005 का०-212 दिनांक 23.01.2006	40-41
16.	राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि। संकल्प ज्ञापांक-3/एम-1-35/2001-का०-125 दिनांक 13.01.2006	41-42
17.	बिहार राज्य के बन्द पड़े या परिसमापन के लिए प्रस्तावित उपक्रमों/इकाइयों को चालू करने तथा विघटन में निहित लोक उपक्रमों के कर्मियों को विभिन्न विभागों में सामंजित करने के संबंध में। पत्रांक-3/आर 01-03/2005-का०-2188 दिनांक 08.10.2005	43
18.	सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया। संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-61/2005-का०-2135 दिनांक 05.10.2005	43-48
19.	चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं महिला को सदस्य मनोनीत करने के संबंध में। पत्रांक-11/वि०-6-भा०स०-04/2002 का०-1700 दिनांक 24.08.2005	49-50
20.	संविदा के आधार पर पंचायतराज संस्थाओं में नियुक्ति के संबंध में। पत्रांक-3/एम-042/2005-का०-956 दिनांक 27.06.2005	50-52
21.	चालक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में । पत्रांक-8/विविध-12-43/2004 का० 3690 दिनांक 02.05.2005	52-53
22.	राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण। संकल्प ज्ञापांक-3/एम-1-1099/90-का०-9849 दिनांक 10.11.2004	53-55
23.	राज्य सरकार के सेवकों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि के संबंध में। संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-54/2004-का०-9300 दिनांक 27.10.2004	55-56
24.	सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-2409/96 से उत्पन्न एम० जे०सी० सं०-1701/99, जगत नारायण सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य। पत्रांक-7/क०च०आ०-5-04/03 का०-7853 दिनांक 28.10.2003	56-57
25.	बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित अवसरों की अधिकतम सीमा की समाप्ति। संकल्प ज्ञापांक-3/आर 1-82/2003-6519 दिनांक 10.09.2003	57-58
26.	फर्जी स्थानान्तरण-पदस्थापन आदेश और फर्जी नियुक्ति आदेश के आधार पर योगदान को रोकने में सतर्कता बरतने के संबंध में । संकल्प ज्ञापांक-3/एम० 1-33/2001 का०-2082 दिनांक 01.04.2003	59-61
27.	चतुर्थवर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया । पत्रांक-3/एम1-19/2001 का०-7805 दिनांक 23.09.2002	62-63
28.	सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु-सीमा में वृद्धि। संकल्प ज्ञापांक - 3/एम 1-35/2001-का०-5604 दिनांक 24.09.2001	64
29.	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के रिक्त पदों पर वर्ग-3 एवं चतुर्थवर्गीय नियुक्ति के संबंध में। पत्र संख्या-3/वि०-09/2001 का०-3394 दिनांक 21.06.2001	65

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 29. 06. 2010

विषयः– राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में वृद्धि को दिनांक 31.12.2015 तक के लिए प्रभावी करने की स्वीकृति।

सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने तथा अन्य राज्यों में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों की उम्रसीमा बिहार राज्य से अधिक होने के आलोक में विचारोपरान्त राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयुसीमा का पुनर्निर्धारण, संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22.06.2006 के तहत निम्नानुसार किया गया–

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	–	37 वर्ष
(ख) पिछड़ावर्ग/अत्यन्त पिछड़ावर्ग (पुरुष एवं महिला)	–	40 वर्ष
(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला)	–	40 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	–	42 वर्ष

उपर्युक्त पुनर्निर्धारित अधिकतम आयुसीमा दिनांक 31.12.2010 तक के लिए प्रमावी की गयी थी।

2. राज्य में बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त रूप में पुनर्निर्धारित अधिकतम आयुसीमा को दिनांक 31.12.2010 से आगे बढ़ाकर दिनांक 31.12.2015 तक के लिए प्रभावी किया जाता है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–1–35/2001–2530 पटना, दिनांक 29.06.2010

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–1–35/2001–2530 पटना, दिनांक 29.06.2010

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/ राज्य अभिलेखागार, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

---

[2]

पत्रांक–7/पी०एस०सी०–2–7–13/2010 का०–5134

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,

बिहार लोक सेवा आयोग,

पटना।

पटना–15, दिनांक 01. 06. 2010

विषयः– विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों की मूल कोटि में फीडर कैडर से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।

प्रसंगः– बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय का पत्रांक 6/प्रो०–24–08/08–57 दिनांक 13.04.2010, पत्रांक 6/प्रो०–24–17/ 2009–112 दिनांक 21.04.2010 तथा पत्रांक 6/प्रो०–16–02/09–148 दिनांक 28.04.10।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम–7 (स) में वर्ष 2003 में संशोधन के अनुसार राज्य सेवाओं/संवर्गों के बेसिक ग्रेड के पदों पर 'नियुक्ति' के लिए आयोग का परामर्श अपेक्षित है। बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति भी नियुक्ति ही है। इस संबंध में ज्ञातव्य है कि कतिपय राज्य सेवाओं/संवर्गों के बेसिक ग्रेड में फीडर कैडर से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का भी प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि सेवा/संवर्ग विशेष को संबंधित विभाग के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की सेवा भी उपलब्ध हो सके। ऐसी प्रोन्नति संवर्गीय प्रोन्नति नहीं होती है, बल्कि उच्चतर संवर्ग को अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से भरा जाता है। यह फीडर कैडर का पदसोपान नहीं होता है। अतः किसी संवर्ग से उच्चतर संवर्ग में प्रोन्नति द्वारा ऐसी नियुक्ति को 'नियुक्ति' ही कहा जा सकता है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2003 में कार्यसीमन विनियमावली में किये गये संशोधन में 'प्रोन्नति' शब्द का उल्लेख नहीं कर मात्र 'नियुक्ति' शब्द का उल्लेख किया गया ।

अतः उक्त विनियमावली में संशोधन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। किसी भी राज्य सेवा या संवर्ग में, जहाँ बेसिक ग्रेड में फीडर कैडर से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का कोटा है, वह नियुक्ति ही मानी जायेगी और कार्यसीमन विनियमावली के संशोधित विनियम–7(स) के अनुसार आयोग से परामर्श अपेक्षित होगा। फलस्वरूप आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर ही ऐसी नियुक्ति हो सकती है।

विश्वासभाजन
अजय कुमार सिन्हा
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–2–7–13/2010–5134 दिनांक 01.06.2010

प्रतिलिपि–सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अजय कुमार सिन्हा
सरकार के उप सचिव

---

[3]

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 06 मई, 2010

विषयः– संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 की कंडिका–2 की उप–कंडिका (2) एवं (11) के प्रावधानों के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि का एक वर्ष से आगे पुनः नया नियोजन/अवधि विस्तार के लिए मार्गदर्शन माँगा जाता है। कतिपय कार्य विभागों में यह विकास कार्यों के अनवरत रूप में चालू रखने के लिए आवश्यक भी है। अतः संविदा नियोजनों में कार्यहित में नये मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने की अपेक्षा हो गयी है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत संबंधी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के क्रम में, राज्य सरकार द्वारा, तुरत के प्रभाव से, निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं–

(क) उक्त संकल्प की कंडिका–2 (2) में एक परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जायेगा–

"परन्तु यह कि विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं जनहित में तथा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्बता की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा उपर्युक्त के अनुसार संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को पुनः एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए परिशिष्ट–1 में संलग्न एकरारनामा पुनः सम्पादित करना होगा और यह संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के आलोक में एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जायेगा।"

(ख) उपर्युक्त संशोधित प्रावधान वर्ष 2009 में किये गये नियमित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन पर भी लागू होगा।

(ग) संकल्प सं0 2401 दिनांक 18.07.07 की कंडिका–2 (2) में अंकित अवधि सीमा संविदा नियुक्ति के लिए ही सृजित पदों पर नहीं लागू होगी। इस पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग निर्णय ले सकेगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–31/2010–1718 पटना, दिनांक 06 मई, 2010

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–31/2010–1718 पटना, दिनांक 06 मई, 2010

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

---

[4]

संख्या–7/च०प० 208/98–का०–2742

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

<u>संकल्प</u>

दिनांक 25. 03. 2010

विषयः– बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन हेतु बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का सहयोग लिए जाने के संबंध में।

स्नातक/इन्टर/मैट्रिक स्तर के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0–2741 दिनांक 25.03.2010 द्वारा किया गया है।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संबंधित परीक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का सहयोग ले सकेंगे, जिसके लिए बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–7/च०प०–208/98–2742 पटना, दिनांक 25.03.2010

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र की 50 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–7/च०प०–208/98–2742 पटना, दिनांक 25.03.2010

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ सचिव, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव।

---

[5]

पत्र संख्या—3/आर—03/08 का०—2630

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना—15, दिनांक 06 मई, 2008

विषयः— राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नियुक्ति विभाग के पत्रांक 912 दिनांक 20.01.69, पत्रांक 12410 दिनांक 22.07.71, कार्मिक विभाग के पत्रांक 17262 दिनांक 14.09.72, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 22533 दिनांक 19.12.78 तथा 2447 दिनांक 06.03.90 (प्रतिलिपियाँ संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने का निर्णय संसूचित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त परिपत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों की सूचना सैनिक कल्याण निदेशालय (गृह विभाग) को उपलब्ध करायी जाय और अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारियों को भी तदनुसार कार्रवाई का निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही, उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार समूह 'ग' एवं 'घ' में नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

APPENDIX III

Memo No. III/R-1-603/67-A-912

GOVERNMENT OF BIHAR

APPOINTMENT DEPARTMENT

To

ALL DEPARTMENTS OF GOVERNMENT

ALL HEADS OF DEPARTMENTS

Patna-15, dated the 30th Pausa 1890/20th January, 1969.

Subject:- Reservation of vacancies for ex-servicemen in Class III and Class IV posts under the State Government.

The undersigned is directed to say that the problem of rehabilitation of a large number of ex-servicemen in the country who have not been able to resettle themselves in civil life has been engaging the attention of the Government of India. The Government of India have decided to accord the following concessions to ex-servicemen for purposes of their employment in civil posts under them:-

(i) Reservation of Civil posts under the Central Government:-

Twenty per cent of permanent vacancies in Class IV posts and 10 per cent of permanent vacancies in Class III posts at the centre are reserved for the ex-servicemen in the first instance for a period of two years subject to the condition that in any recruitment years the total number of vacancies reserved for ex-servicemen, scheduled casts and scheduled tribes taken together does not exceed 45 per cent of the vacancies to be filled up in that years.

(ii) The ex-servicemen will get age concession of three years in addition to the period of service rendered by them in Defence Services.

(iii) For posts of Daftari, Jamadar and Record Sonbers (under the State Government they are called Record Supplier) the demobilised ex-servicemen are exempted from the prescribed educational qualification provided they have put in three years military service before demobilisation.

2. The State Government have decided to grant similar concessions to the ex-servicemen for appointment to class III and Class IV posts under them with the modification that the reservation will be a continuous process.

3. All appointing authorities may kindly be directed to give immediate effect to the above decision of the State Government.

4. High Court has been requested to issue similar instructions in regard to Class III and Class IV posts under them.

5. Director of Public Relations is requested to give wide publication in the Press.

By order of the Government of Bihar

B.K. DUBEY

Deputy Secretary to Government

संख्या–3 आर 1–605/71 नि० 12410

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

प्रेषक,

श्री बसन्त कुमार दूबे,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना–15, दिनांक 22 जुलाई, 1971/31 आषाढ़ 1893 (स)

विषयः– भूतपूर्व सैनिकों का असैनिक सेवा में पुनर्नियोजन सम्बन्धी प्रणाली।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार प्रतिरक्षा मंत्रालय के डाइरेक्टर जेनरल रीसेटलमेंट, न्यू दिल्ली के पत्रांक 1761/रेस–3 दिनांक 04.09.70 की प्रति अनुलग्नक सहित भेजते हुए मुझे अनुरोध करना है कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार इस विषय में यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय तथा सभी अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारियों को इस निर्णय से अविलम्ब अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,

बसन्त कुमार दूबे

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या– 3/आर 1–605/71 नि०–12410 पटना–15, दिनांक 22 जुलाई, 1971

प्रतिलिपि– डाइरेक्टर जेनरल रीसेट्लमेंट, प्रतिरक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, जिंद हाउस, लीटन रोड, न्यू दिल्ली–1 को उनके पत्रांक 1761/रेस–3, दिनांक 04.09.70 के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित ।

बसन्त कुमार दूबे

सरकार के उप सचिव।

Government of India
Ministry of Defence
Dte. Gen. Resettlement
Jind House, Lytton Road
New Delhi-1,
The 4th Sep '70.

No. 1761/RES-3

To

The Secretary,

Bihar State S.S.& A. Board,

Patna.

Subject:-Rehabilitation of Ex-Servicemen in Civil Life-Reservists.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Ministry of Home Affairs O.M. No. 13/13/70 Ests (C) dated the 24th July 1970 on the above subject and to request you to kindly ensure that these orders are strictly complied with by all Departments/Attached/Sub-ordinate Offices of the Central Government functioning in your jurisdiction.

2. I am also to request you kindly to impress upon your State Government to issue similar instructions on the subject to all their departments and the State Public Sector Undertakings for compliance. A copy of the instructions, issued by your State Government, may be forwarded to this Dte. General.

Yours faithfully,

T.N.K. Nair,

Lt.Col.

For Director General Resettlement.

No, 13/13/70-Ests (C)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS.
New Delhi-1, the 24th July, 1970
OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Rehabilitation of Ex-Servicemen in Civil Life-Reservists.

The undersigned is directed to say that it has been brought to the notice of this Ministry that certain recruiting authorities have insisted that reservists should seek pre-mature discharge from reserve liability before they are offered appointment under them or are declared permanent. It may be pointed out that a person who has rendered a minimum of three years service with the colours, may be seconded to a reserve. Reserve liability is essential to entitle such persons to Army pensions, the minimum qualifying service for the grant of the same being 15 years taking their colour and reserve service together. Therefore, their pre-mature discharge

from reservist service is not beneficial to them and is also not in the interests of State as it would result in the depletion of the Army Reserve. It is, therefore, considered that Ministries/Departments etc. should not insist on the reservists seeking pre-mature discharge from reserve service before considering them for either for initial appointment or confirmation.

2. Ministries/Departments etc. are also requested to bring these instructions to the notice of the public sector undertakings with which they are concerned. Department of Banking may also please inform the Nationalised Banks on the lines in para 1 above.

T. R. Prasad

Under Secretary to the Govt. of India

ज्ञाप संख्या 3/आर 01–603/72–का०–17262

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

3 भाद्र 1894 (श०)

पटना–15, दिनांक__________।

14 सितम्बर, 1972

विषय– राज्य सरकार, राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकाय और अन्य स्वशासी संस्थाओं के अधीन सिविल नियोजन में प्रतिरक्षा सेवा के विकलांग कर्मचारियों का पुनर्नियोजन।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि शत्रु के विरुद्ध या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में की गयी कार्रवाइयों में विकलांग हुए प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की समस्या पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट होता रहा है। अतएव उसने उचित विचार–विमर्श के बाद यह विनिश्चय किया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को अपने अधीन सिविल पदों पर नियोजित करने के प्रयोजनार्थ कुछ रियायतें दी जाय। तदनुसार बिहार के विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिये राज्य सरकार ने भी यह विनिश्चय किया है कि सरकार, राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकायों और अन्य स्वशासी संस्थाओं के अधीन सिविल पदों पर ऐसे व्यक्तियों के नियोजन के लिये निम्नलिखित रियायतें दी जायें :–

(1) श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों पर नियुक्तियों में प्राग्रता–

प्रतिरक्षा सेवा के विकलांग कर्मचारी, जिन्हें विहित योग्यताएँ और अनुभव हो और जिनकी उम्र 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकलांग कर्मचारियों की दशा में 50 वर्ष) से अधिक न हो, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों पर नियुक्ति के लिये प्रथम प्राग्रता के हकदार होंगे, बशर्ते कि भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के आधार पर की जाय और वे पद के उपयुक्त पाये जायें।

उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त सरकारी विभागों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे पदों को भरने सम्बन्धी अध्यपेक्षाओं की प्रतियाँ उस आयोग के पास जहाँ उक्त व्यक्तियों को साक्षात्कार करना हो, भेजने के साथ–ही–साथ महानिदेशक, पुनर्नियोजन, प्रतिरक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास भी भेजें।

(2) नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के कितने अवसर दिये जायें–

यदि श्रेणी 1, 2 और 3 के पदों पर नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित या आयोग से भिन्न निकायों द्वारा ली गयी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जाय, तो प्रतिरक्षा सेवा के विकलांग कर्मचारियों को, बशर्त्ते कि वे शैक्षिक रूप से योग्य हों, उतने से अधिक अवसर न दिये जायेंगे जितने कि एक खास उम्र–सीमा के भीतर वाले हरेक सामान्य उम्मीदवार को अधिक–से–अधिक दिये जाते हैं।

(3) श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों पर हुई रिक्तियों का आरक्षण–

स्थायी रिक्तियाँ सहित श्रेणी 3 के पदों की दस प्रतिशत रिक्तियाँ और श्रेणी 4 के पदों की 20 प्रतिशत रिक्तियाँ, जो प्रतिवर्ष सीधी भरती द्वारा भरी जाती हों, भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रहती हैं, बशर्त्ते कि हरेक भर्ती वर्ष में भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अग्रनीत आरक्षणों सहित) तथा हरेक अन्य कोटि के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या कुल मिलाकर उस वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों के 45 प्रतिशत से अधिक न हो।

इन आरक्षित रिक्तियों को भरने में सबसे पहले विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को और उसके ठीक बाद युद्ध में मारे गये प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के हरेक परिवार के दो सदस्यों को प्राग्रता दी जायगी।

(4) अधिकतम उम्र–सीमा को शिथिल करना–

प्रतिरक्षा सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गयी सेवा की अवधि के अलावा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को अधिक–से–अधिक तीन वर्षों तक उम्र में रियायत दी जायगी।

उम्र सम्बन्धी रियायत का दावा करने के प्रयोजनार्थ ऐसे दावे के समर्थन में केवल महानिदेशक, पुनर्नियोजन, प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्राप्त प्रमाण–पत्र को ही लेख्यात्मक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायगा।

(5) विहित शैक्षिक योग्यताओं को शिथिल करना–

चपरासी, दफ्तरी, जमादार और अभिलेख आपूरक (रिकर्ड सप्लायर) के पदों के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों को विहित शैक्षिक योग्यताओं से छूट दी गयी है, बशर्त्ते कि वे सशस्त्र बल (फोर्स) से अशक्त होने के पहले तीन वर्षों तक सेवा में रहे हों।

(6) स्वास्थ्य स्तर (मेडिकल स्टैंडर्ड)–

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणी 1 से 4 के पदों पर नियोजन के प्रयोजनार्थ प्रतिरक्षा सेवाओं के सैन्य वियोजन चिकित्सा बोर्ड (डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र, सामान्यतः, पर्याप्त समझा जायगा। किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में, यदि सैन्य वियोजन के बाद किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में घट–बढ़ हो जाय, तो नियुक्ति प्राधिकारी, समुचित सिविल चिकित्सा बोर्ड से, नये सिरे से उसकी स्वास्थ्य परीक्षा की अपेक्षा कर सकेगा, और यदि विकलांग कर्मचारी पद के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये योग्य पाये जायें तो उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य समझा जायगा।

2. सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को कृपया यह निदेश दे दिया जाय कि वे राज्य सरकार के उपर्युक्त विनिश्चय को तुरत अंजाम दें और यह सुनिश्चित करें कि उसका ठीक से अनुपालन हो रहा है।

3. उच्च न्यायालय और राज्य विधान मंडल सचिवालय से अलग से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ श्रेणी 3 और 4 के पदों के सम्बन्ध में ऐसे ही अनुदेश निर्गत करें।

4. सरकारी विभागों को यह निदेश दिया जाता है कि वे राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य स्वशासी संस्थाओं के द्वारा जिनसे वे सम्बद्ध हों, इन विनिश्चयों को तुरत अंजाम दिलाने के लिये कार्रवाई करें। उन्हें निर्गत अनुदेशों की एक प्रति अभिलेख के लिये, कृपया, नियुक्ति विभाग को भेज दी जाय।

5. जन–सम्पर्क निदेशक से अनुरोध हे कि वे प्रेस और रेडियो के जरिये सरकार के इन विनिश्चयों का व्यापक प्रचार करें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के उप–सचिव

23 भाद्र, 1894 (श०)

ज्ञाप सं० 3/आर 01–603/72–17262–का० पटना–15, दिनांक________।
14 सितम्बर, 1972

प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को जानकारी के लिये भेजी जाती है।

सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के उप–सचिव

23 भाद्र, 1894 (श०)

ज्ञाप सं० 3/आर 01–603/72–17262–का० पटना–15, दिनांक________।
14 सितम्बर, 1972

*गैर–सरकारी तौर पर परामर्शित।

प्रतिलिपि, दो प्रतियों में, वित्त विभाग* को जानकारी तथा महालेखापाल, बिहार के पास भेजने के लिये अग्रसारित की जाती है।

सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के उप–सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या 3/आर 1–603/67 का० 22533 दिनांक 19.12.1978

सेवा में,

<u>सरकार के सभी विभाग</u>

सभी विभागाध्यक्ष

विषय : राज्य सरकार के अधीन श्रेणी 3 एवं 4 के पदों की रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत ज्ञाप संख्या 912 दिनांक 20 जनवरी, 1969 में श्रेणी–3 एवं 4 के पदों की रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए की गयी आरक्षण की व्यवस्था, दिनांक 31 अक्टूबर 1978 से समाप्त कर दी जाय।

2. राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि श्रेणी–3 एवं 4 के अनारक्षित पदों के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायगी। श्रेणी 3 एवं 4 के पदों में आरक्षित रिक्तियों में भी भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायगी, बशर्ते वे आरक्षित कोटि के हों। उक्त प्राथमिकता देने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति विभाग के ज्ञाप संख्या 912 दिनांक 20 जनवरी 1969 में आयु सीमा के संबंध में जो छूट दी गयी है वह लागू रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ईश्वरी प्रसाद

सरकार के प्रधान सचिव

पत्र संख्या–3/एम 1–1072/89 का० ....

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० एम० शरण,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अपर विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांक मार्च, 1990 ई०

विषयः– राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को दी जानेवाली उम्र–सीमा में रियायत के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या–1067/लो० से० आ० दिनांक 28.08.89 के प्रसंग में कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या–3/आर 1–603/87–912 दिनांक 20.01.1969 का स्पष्टीकरण निम्न रूप से दिया जाता है:–

"असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।"

यह सुविधा राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की नियुक्तियों पर समान रूप से लागू होगी।

विश्वासभाजन,

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–3/एम 1–1072/89 का०–2447 पटना, दिनांक 06 मार्च, 90

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना/राज्य सैनिक निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

---

[6]

पत्र संख्या–3/एम–078/2005 का०–4467

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

सरकार के सभी विभाग।

पटना–15, दिनांक 17. 12. 2007

विषयः– संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इस विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के तहत संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत का निरूपण किया जा चुका है। सरकार की स्थापना में कई ऐसे पद हैं जो केवल संविदा नियुक्ति के लिए ही उपयुक्त हैं। ऐसे पदों को चिह्नित कर उन पर संविदा नियुक्ति का प्रावधान किये जाने पर विचार किया जा सकता है। तकनीकी/कार्य विभागों के कतिपय पदों, तथा चीफ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, डिप्टी कंसल्टेंट तथा इनके जैसे कई अन्य पदों पर नियमित नियुक्ति से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसे पदों

के धारक कुछ वर्षों तक काम करने के बाद अन्यत्र अधिक वेतन का ऑफर प्राप्त होने पर पद त्याग कर चले जायेंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे पदों पर पुनः नियुक्ति करनी होगी। अतः ऐसे पदों पर केवल संविदा नियुक्ति का प्रावधान किया जाना कार्यहित में होगा। दूसरी ओर परियोजना विशेष के लिए भी पदों की आवश्यकता सीमित समय के लिए ही होती है। ऐसे पद भी संविदा नियुक्ति के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं और परियोजना का काम समाप्त होने पर पद समाप्त किये जा सकते हैं।

2. अतः अनुरोध है कि ऐसी प्रकृति के पदों को चिह्निनत किया जाय। ऐसे चिह्निनत पद केवल संविदा नियुक्ति के लिए सुरक्षित रहेंगे और इन पर कभी भी नियमित नियुक्ति नहीं होगी। पद चिह्निनत कर उन्हें संविदा नियुक्ति के लिए कर्णांकित करने के क्रम में भर्त्ती की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु, उपर्युक्त संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के आलोक में, नियमावली का प्रारूप तैयार कर प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है। नियमावली का प्रारूपण के क्रम में उपर्युक्त संकल्प के प्रावधानों से भी भिन्न 5 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव और पारिश्रमिक में प्रतिवर्ष निश्चित प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस प्रकार से संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अस्थायी/स्थायी नियुक्ति वाले पदों के विज्ञापन के क्रम में अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन कर सकने का अवसर दिये जाने का उल्लेख भी नियमावली में रह सकता है।

3. कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

---

[7]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

विषय :– विमान चालकों/अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समिति का गठन।

विमान चालकों/विमान अभियंताओं के राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के मामले को बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के दायरे से बाहर रखने का निर्णय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०–6166 का० दिनांक 24.06.94 द्वारा लिया गया था। उक्त आलोक में उक्त पदों पर नियुक्ति के निमित्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–7057 दिनांक 21.07.1994 के द्वारा चयन समिति का गठन किया गया। विभागों के पुनर्गठन के कारण, सिविल विमानन विभाग का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में संविलयन के फलस्वरूप, उक्त संकल्प सं०–7057 दिनांक 21.07.94 में संशोधन की अपेक्षा हो गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त संकल्प सं०–7057 दिनांक 21.07.94 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है :–

(क) सदस्य, राजस्व पर्षद – अध्यक्ष

(ख) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विशेष सचिव/अपर सचिव – सदस्य

(ग) वित्त विभाग के विशेष सचिव / अपर सचिव — सदस्य

(घ) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के
विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव — सदस्य

(ङ.) निदेशक संचालन सह–मुख्य विमान चालक — सदस्य

(च) मुख्य विमान अभियंता — सदस्य

(छ) विमान अर्हता पदाधिकारी, भारत सरकार — सदस्य

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय और संकल्प की प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक सेवा अयोग / महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–3 / एम–110 / 07 का०–2666 पटना–15, दिनांक 07 अगस्त, 2007

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी पाँच सौ प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–3 / एम–110 / 07 का०–2666 पटना–15, दिनांक 07 अगस्त, 2007

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 18. 07. 2007

विषयः– संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत ।

वित्त विभागीय पत्रांक 7752/वि (2) दिनांक 25.09.02 के तहत राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि सरकार के औपचारिक निर्णय से भिन्न निगमों/स्वशासी निकायों से विभागों में प्रासंगिक संकल्प सं0 7469 दिनांक 16.11.99 के बाद अगर कोई प्रतिनियुक्ति की गयी हो तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाय। साथ ही यह भी संसूचित किया गया था कि अस्थायी योजनाओं में कार्य करने हेतु यदि निश्चित अवधि के लिए कर्मियों की आवश्यकता हो तो संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति सीमित अवधि के लिए करने पर विचार किया जा सकता है; संबंधित प्रशासी विभाग आवश्यकतानुसार प्रस्ताव गठित कर मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उक्त के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के प्रस्ताव में सहमति माँगी जाने लगी है, परन्तु संविदा के आधार पर नियोजन हेतु नीति निर्धारित नहीं होने के कारण ऐसे प्रस्तावों में एकरूपता नहीं रहती है तथा इन पर निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसके अलावा संविदा पर नियोजन में भी, चाहे वह सीमित/अल्प अवधि के लिए ही क्यों न हो, आरक्षण प्रावधानों के लागू होने, समान अवसर की संवैधानिक अपेक्षाओं के पूरा होने, चयन में पारदर्शिता रहने आदि का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अतः विभागों के ऐसे प्रस्तावों के संदर्भ में, नियोजन में एकरूपता रखने एवं ऐसे नियोजन पर नियंत्रण रखने के प्रयोजनार्थ एक नीति/मार्गदर्शक सिद्धांत का निरूपण राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निम्नांकित नीति/मार्गदर्शक सिद्धांतों को निरूपित करने का निर्णय लिया गया है–

(1) संविदा के आधार पर नियोजन भी स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही किया जायेगा और विज्ञापन के आधार पर ही ऐसा नियोजन किया जा सकेगा।

(2) ऐसा नियोजन किसी खास प्रयोजन यथा अल्पावधि के लिए किसी स्कीम के तहत ही होगा। परन्तु स्थायी रूप से सृजित पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने की स्थिति में भी अल्पावधि के लिए ऐसा नियोजन किया जा सकेगा, परन्तु ऐसा नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरुद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिए होगा।

(3) ऐसे नियोजनों में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। जहाँ नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण संविदा पर नियोजन की स्थिति हो वहाँ नियमित नियुक्ति के रोस्टर बिन्दु का ही अनुपालन किया जायेगा। संविदा के आधार पर नियोजन की समाप्ति के बाद ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति के समय उसी रोस्टर बिन्दु से नियमित नियुक्तियाँ प्रारम्भ की जायेंगी, जिस रोस्टर बिन्दु से प्रारम्भ कर संविदा के आधार पर नियोजन किया गया था।

(4) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक का निर्धारण विभागीय सचिव, सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी से गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति मामले विशेष में बाजार दर को देखते हुए पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी। यदि सरकार

में उस तरह का पद उपलब्ध है तो प्रारम्भिक स्टेज का वेतनमान, महँगाई वेतन, महँगाई भत्ता तथा सभी अन्य श्रेणी के भत्ते जैसे मकान भाड़ा भत्ता को मिलाकर समेकित रूप में जो राशि आयेगी उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण समिति द्वारा किया जा सकेगा। पारिश्रमिक के भुगतान हेतु बजट में "व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए अदायगियाँ" प्राथमिक इकाई के अंतर्गत राशि का प्रावधान कराया जायेगा तथा उसी से इसका भुगतान किया जायेगा।

(5) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा। छह माहों की अवधि के संविदा आधारित नियोजन के संदर्भ में सरकारी सेवकों को अनुमान्य वार्षिक आकस्मिक अवकाशों की कुल संख्या के आधे की संख्या में आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।

(6) विभिन्न सेवा/संवर्ग/पद के लिए नियमित भर्ती हेतु जो अर्हताएँ निर्धारित हैं वे ही संविदा के आधार पर उस सेवा/संवर्ग/पद में नियोजन हेतु भी रहेंगी।

(7) संबंधित विभाग ऐसे नियोजन हेतु चयनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसके द्वारा चयनित/अनुशंसित पैनेल से ऐसा नियोजन किया जा सकेगा। चयन समिति की बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना अनिवार्य होगा।

(8) संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा होगी।

(9) संबंधित सेवा/संवर्ग/पद के लिए विहित नियुक्ति प्राधिकार ही संविदा के आधार पर भी नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(10) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे । संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।

(11) यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(12) नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जानेवाले व्यक्ति के बीच संलग्न परिशिष्ट–1 में विहित किये गये प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा अयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम–78/2005–का०–2401 पटना, दिनांक 18.07.2007

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम–78/2005–का०–2401 पटना, दिनांक 18.07.2007

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

<u>परिशिष्ट–1</u>

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा..विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री ....के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है:–

1. यह नियोजन केवल ....(पद का नाम) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 6 माह के लिए किया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि अगले 6 माह तक बढ़ायी जा सकेगी।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री...............................को ....रु० प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
7. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंट्रैक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

..................................विभाग, बिहार, पटना नियोजित व्यक्ति

[9]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 16. 07. 2007

विषयः— बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।

बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और उनके आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के क्रम में आये दिन कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छायें की जाती हैं। इसी तरह विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा भी पृच्छायें की जाती हैं और परामर्श माँगा जाता है।

2. हालाँकि ऐसे सभी पृच्छित बिन्दुओं पर समय—समय पर परिपत्र/संकल्प/अनुदेश निर्गत होते रहे हैं। जैसे अधियाचना, विज्ञापन, पूर्ववृत्त सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, योगदान नहीं देने के कारण रिक्तियों को अग्रणीत किया जाना आदि बिन्दुओं पर अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में समय—समय पर संकल्प निर्गत होते रहे हैं। सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आयु सीमा में 5 वर्षो की छूट दी हुई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने हेतु अवसरों की सीमा समाप्त की जा चुकी है। न्यूनतम अर्हतांक के संबंध में परिपत्र निर्गत है।

3. वर्णित स्थिति में उपर्युक्त रूप में निर्गत अनुदेशों को समेकित रूप में परिचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों/संकल्पों में दिये गये अनुदेश/मार्गदर्शन को एक संकल्प के तहत समेकित करते हुए दुहराये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि इन बिन्दुओं पर पृच्छाओं एवं मार्गदर्शन माँगने की आवश्यकता नहीं रह जाय और भर्ती की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। अतः उक्त आलोक में, और क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से, निम्नांकित निदेश दिये जाने का निर्णय लिया गया है—

(1) सभी विभाग संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे।

(2)(क) उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना संबंधित आयोग को 30 अप्रील तक भेज देंगे। अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस संबंध में निर्गत पत्रांक 1532 दिनांक 03.06.2006 का अनुपालन आवश्यक होगा।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्तियों की जानकारी संबंधित विभाग स्वयं प्राप्त कर समेकित रूप से अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजेंगे। जबतक विभाग से अधियाचना नहीं आये, तबतक बिहार कर्मचारी चयन आयोग चयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जिलों की अधियाचना भी सीधे आयोग को नहीं भेजी जायेगी बल्कि रिक्तियों की सूचना संबंधित विभाग को भेजी जायेगी तथा विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेगा।

(3) संबंधित आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। आवेदन—पत्र प्राप्ति की समय—सीमा विज्ञापन की तिथि से सामान्यतः एक माह तक अथवा आयोग द्वारा यथा विनिश्चित रखी जा सकेगी।

(4) उम्र निर्धारण हेतु कट—आफ—डेट 01 अगस्त पूर्ववत रहेगा, किन्तु इस प्रसंग में निर्गत पत्रांक 212 दिनांक 23.01.2006 का अनुपालन आवश्यक होगा।

(5) सरकारी सेवाओं में भर्ती हेतु न्यूनतम आयु स्नातक योग्यताओं वाले मामलों में 21 वर्ष तथा स्नातक से न्यून योग्यताओं वाले मामलों में 18 वर्ष रहेगी। अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प के तहत आरक्षण कोटिवार समय–समय पर निर्धारित की जाय।

(6) सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान् की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।

(7) विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण संकल्प संख्या–15838 दिनांक 22.12.90 एवं 10258 दिनांक 05.08.91 द्वारा निम्नांकित रूप में किया गया है–

सामान्य वर्ग	....	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	....	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर–1	....	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जन–जाति एवं महिला वर्ग	....	32 प्रतिशत

न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण सभी सेवाओं/संवर्गों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर सामान्य रूप से लागू रहेगा। अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए, जहाँ लागू हो, उक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(8) प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी। परन्तु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम तीन अवसरों की सीमा लागू रहेगी।

(9) विज्ञापन के प्रकाशनोपरांत, मात्र एक पत्र (वस्तुनिष्ठ) की परीक्षा रहने पर परीक्षाफल अधिकतम छह माह में, केवल मुख्य परीक्षा होने पर परीक्षाफल अधिकतम नौ माह में, तथा एक/दो विषयों की प्रारम्भिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा एवं तत्पश्चात् साक्षात्कार होने की स्थिति में परीक्षाफल अधिकतम एक वर्ष में प्रकाशित कर दिया जायेगा।

(10) ऐसी सेवाओं/संवर्गों के संबंध में, जिनमें लिखित परीक्षा के बाद अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था भी है, लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा के लिए बुलाये जानेवाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। संबंधित सेवा नियमावलियों में तदनुकूल प्रावधान प्रशासी विभाग द्वारा कर लिया जायेगा।

(11) संबंधित आयोग द्वारा आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार कर अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित विभाग को भेजा जायेगा। मेधा के आधार पर मेधा सूची में आए उम्मीदवार की गणना आरक्षित कोटि में नहीं की जाएगी। मेधा सूची में उम्मीदवार के नाम के आगे उनका प्राप्तांक भी अभिलिखित रहेगा।

(12) संबंधित विभाग प्राप्त मेधा सूची के आधार पर उनके पूर्ववृत्त सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेसन), स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल जाँच) तथा प्रामाण पत्र सत्यापन की कार्रवाई एक माह के अन्दर करेगा। पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधी निर्गत पत्रांक 1859 दिनांक 08.07.2006 तथा उसके साथ संलग्न सत्यापन प्रपत्र का अनुपालन आवश्यक होगा।

(13) जिन सेवाओं/संवर्गों में अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था है, उनके संबध में स्वास्थ्य परीक्षण (मात्र संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़कर) एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की कार्रवाई संबंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूर्ववत्‍ आयोग एवं प्रशासी विभाग करेंगे।

(14) संबंधित आयोग द्वारा एक बार अनुशंसा भेज देने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा। परन्तु, कतिपय विशिष्ट कारणों, यथा–विभाग द्वारा अनुशंसा वापस किये जाने/पूर्व संसूचित रिक्तियों में संशोधन कर संशोधित अनुशंसा की माँग करने/ न्यायालयों के संगत आदेशों के आलोक में आयोग की अनुशंसा में यथोचित संशोधन किया जा सकेगा।

(15) उपर्युक्त कार्रवाइयों के बाद भर्त्ती हेतु अपेक्षित कार्रवाई सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। भर्त्ती के क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01.04.2003 में निहित अनुदेशों का अनुपालन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।

(16) किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी।

(17) उपर्युक्त रूप में भर्त्ती की कार्रवाई आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर पूरा कर लेना आवश्यक होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रतियाँ बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–63/2005 का०–2374 पटना, दिनांक 16.07.2007

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को, 250 प्रतियाँ बिहार लोक सेवा आयोग को तथा 250 प्रतियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग को और 5–5 प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी को भेजने हेतु प्रेषित ।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–63/2005 का०–2374 पटना, दिनांक 16.07.2007

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

पत्र संख्या–3/एम०–252/2006 का०–17

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

ए० के० चौधरी,

सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 02. 01. 07

विषयः– बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर समुचित कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार के ध्यान में इस बात को लाया गया है कि विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों/अन्य नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा समूह–"ग" (वर्ग–3) की रिक्तियों की सूचना/अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन अयोग को भेजी जाती है और आयोग तदनुसार रिक्तियों को विज्ञापित भी कराते हैं, परन्तु रिक्तियों की उक्त सूचना/अधियाचना एवं विज्ञापन के बाद जब आयोग अभ्यर्थियों की अनुशंसा भेजता है, तो उसके अनुसार नियुक्ति नहीं कर उसे लौटाया जाता है या उसके अनुसरण में समुचित कार्रवाई नहीं कर उसे लंबित रखा जाता है। सरकार ने इस स्थिति को गम्भीरता से लिया है।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार अधिनियम सं०–7/2002 के अंतर्गत गठित होने के फलस्वरूप एक कानूनी निकाय है। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर समुचित कार्रवाई नहीं करने की शिकायत को गम्भीरता से लिया जाना है। अतः एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि रिक्तियों की सूचना/अधियाचना आयोग को भेजे जाने के बाद उसके आधार पर आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं का सम्मान किया जाय और अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिशा में, निर्धारित प्रक्रिया तथा संकल्प संख्या–2082 दिनांक 01.04.03 का अनुपालन करते हुए, समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

ए० के० चौधरी

सरकार के मुख्य सचिव

ज्ञाप संख्या –3/एम०–252/2006 का०–17

पटना–15, दिनांक 02.01.07

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

[11]

पत्रांक 3/एम–27/2006 का०–1859

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 08. 07. 06

विषयः– विभिन्न सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (character and antecedents) का सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के प्रसंग में प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है। कतिपय स्मारपत्रों के बाद ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हो पाता है जिसके कारण नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करने में विलम्ब हो जाया करता है। जहाँ रिक्त पद को शीघ्र भरने की अत्यन्त आवश्यकता होती है वहाँ ऐसी परिस्थिति में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति करनी पड़ती है और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ऐसी नियुक्ति का नियमितीकरण करना पड़ता है।

2. राज्य सरकार ने चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रतिवेदन ससमय प्राप्त नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया है और एतदर्थ समय–सीमा तथा जवाबदेही के निर्धारण की आवश्यकता समझी गयी है। अतः इस संबंध में निर्गत पूर्व के परिपत्रों/अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए सम्यकरूपेण विचारोपरान्त, राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है–

(1) संबंधित आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने पर 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर संबंधित विभाग उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए सक्षम पदाधिकारी को अनुरोध पत्र, उम्मीदवार के पूर्ण विवरण के साथ भेजेगा।

(2) ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के बाद संबंधित सक्षम पदाधिकारी अगले एक माह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) आरक्षी महानिदेशक द्वारा सभी आरक्षी अधीक्षकों से प्रतिमाह सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति एवं उनके निष्पादन की संख्या के संबंध में मासिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं उसकी समीक्षा की जायेगी।

(4) सभी प्रमंडलीय आयुक्त प्रमंडलीय स्तर पर जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षकों की प्रमंडलीय बैठक में

सत्यापन प्रतिवेदनों के निष्पादन की समीक्षा करेंगे।

(5) उक्त समय–सीमा का अनुपालन नहीं हो सकने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण कर संबंधित दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। संबंधित विभाग में ऐसी कार्रवाई विभागीय सचिव द्वारा की जायेगी। आरक्षी महानिदेशक के अधीनस्थ सक्षम पदाधिकारी के अधीन समय–सीमा का अनुपालन नहीं हो सकने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण और समुचित कार्रवाई आरक्षी महानिदेशक को प्राप्त होनेवाले मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर की जायेगी। आरक्षी महानिदेशक के कार्यालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ–साथ वांछित चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन भी अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित विभाग द्वारा सभी नयी नियुक्तियों के संदर्भ में सभी उम्मीदवारों से उनके योगदान की स्वीकृति के पूर्व संलग्न सत्यापन प्रपत्र में, उनके स्वयं का बायोडाटा (पूर्ववृत्त आचरण के संबंध में सूचना सहित) अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

रविकान्त

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम–27/2006 का०–1859 पटना–15, दिनांक 08. 07. 06

प्रतिलिपि– महानिदेशक–सह–आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविकान्त

सरकार के सचिव

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष–मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।

3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

---

1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें) — कुलनाम / नाम

2. वर्त्तमान पूरा पता अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली/ स्ट्रीट/ सड़क तथा शहर

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली/ स्ट्रीट/ सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम

   (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास–अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें।					

6. उस पुत्र/ पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:–

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

	(क)	जन्मतिथि	(क)
	(ख)	वर्तमान आयु	(ख)
	(ग)	मैट्रीकुलेशन के प्रमाण–पत्र में दी गई आयु	(ग)
8.	(क)	जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान	(क)
	(ख)	आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं।	(ख)
	(ग)	आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं।	(ग)

(क) आपका धर्म

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों, उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कालेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों / कॉलेजों के नाम	स्कूल / कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल / कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि		पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
से	तक			

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार / किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख मेंआपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ? हाँ / नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हाँ / नहीं

(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ? हाँ / नहीं

(घ) क्या कभी आपको नजरबन्द किया गया है ? हाँ / नहीं

(ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है ? हाँ / नहीं

(च) क्या कभी किसी विधि–न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है ? हाँ / नहीं

(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ? हाँ / नहीं

(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग / कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा / चयन से आपको बहिष्कृत / अयोग्य घोषित किया है ? हाँ / नहीं

(झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय मे आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है ? हाँ / नहीं

(ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? हाँ / नहीं

(ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया / बहिष्कृत किया गया / निकाला गया ? हाँ / नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे / गिरफ्तारी / हिरासत / अर्थदंड / दंडादेश / सजा आदि के बारे में और / अथवा किसी न्यायालय / विश्वविद्यालय / शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोटः– (i) कृपया इस प्रपत्र के 'प्रारम्भ' में लिखी 'चेतावनी' को भी देखें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हाँ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

1.

2.

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता / करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी / पति है।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना / मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..............................

तारीख..............................

स्थान..............................

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(i) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता

(ii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद, जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है।

निबंधन सं० पी० टी० — 40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1928 (श०)

(सं० पटना 596) पटना, मंगलवार 25 जुलाई, 2006

सं० 3/एम–1–35/2001–1735–का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

22 जून 2006

विषय– राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्त्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में वृद्धि।

राज्य में बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 1600, दिनांक 4 फरवरी 1991 के तहत राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा का पुनर्निर्धारण 31 दिसम्बर 1995 तक के लिये निम्न प्रकार किया गया था :–

(क) अनारक्षित वर्ग	–	35 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	–	38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग (पुरुष एवं महिला)	–	40 वर्ष

2. अधिकतम आयु सीमा का उपर्युक्त रूप में पुनर्निर्धारण का अवधि विस्तार संकल्प सं० 2212, दिनांक 28 फरवरी 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2000 तक के लिये, संकल्प संख्या 5604, दिनांक 24 सितम्बर 2001 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2005 तक के लिये तथा पुनः संकल्प सं. 125, दिनांक 13 जनवरी 2006 के तहत दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक के लिये किया गया।

3. सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 58 वर्ष से 60 वर्ष किये जाने, अन्य राज्यों में पिछड़े वर्गों की उम्र सीमा बिहार राज्य से अधिक होने के आलोक में राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार पुनर्निर्धारित की है :–

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) – 37 वर्ष

(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) – 40 वर्ष

(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 42 वर्ष

उक्त पुनर्निर्धारित आयु सीमा दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक प्रभावी रहेगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव।

---

[13]

पत्र सं०–3/एम–90/2006–का०–1532

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 03. 06. 06

विषयः– अधियाचित रिक्तियों को अन्य स्रोतों, यथा–समायोजन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति आदि, से नहीं भरने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ऐसा पाया गया है कि वर्ग–3 (समूह–ग) की रिक्तियों के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने के बाद भी उन रिक्तियों के विरुद्ध अन्य स्रोतों से, यथा समायोजन के आधार पर अथवा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर ली जाती है। इस विभाग के

पत्रांक 3/आर–1–302/77 का०–11018 दिनांक 17.06.77 के अनुसार प्रत्येक वर्ष रिक्तियों की समीक्षा के बाद अधियाचना आयोग को भेजी जानी है, जिसके आधार पर आयोग को विज्ञापन करना होता है। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या वास्तविक रिक्तियों की संख्या से संगत होनी है और एक बार अनुशंसा हो जाने पर उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उक्त परिपत्र में यह भी उल्लेख है कि आयोग को अधियाचित रिक्तियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

2. समूह 'ग' में नियुक्तियाँ अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर हो सकती है। सरकार की नीति के आधार पर समायोजन और अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए उक्त आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा नहीं होती है। फलस्वरूप बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर लेने से आयोग से नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने पर उतनी रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने पर अनुशंसित पैनेल से सभी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ नहीं हो पाती है। इसके फलस्वरूप प्रशासनिक उलझनें पैदा होती हैं और अनावश्यक वाद भी दायर होते हैं।

3. अतः अनुरोध है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की अधियाचना भेजने के बाद अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाय। आयोग को अधियाचना भेजने के बाद उसे अक्षुण्ण रखा जाय तथा जो रिक्तियाँ अधियाचित नहीं हों उनके विरुद्ध ही ऐसी नियुक्ति की जाए। यदि अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध ऐसी नियुक्ति करने की अपरिहार्यता विशेष परिस्थिति में हो तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अवगत कराते हुए पुनरीक्षित अधियाचना भेजकर उनसे सम्पुष्ट करा लेने के बाद ही अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाय।

4. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत करा दिया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक– 168 / स०

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0 वेटनरी कॉलेज, पटना–14

प्रेषक,

परमानन्द झा,

सचिव।

सेवा में,

<u>सभी विभागों के आयुक्त–सह–सचिव / सचिव</u>

<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>

सभी प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 17 अप्रैल, 2006

विषय :– वर्ग–3 की रिक्तियों एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचना / अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आयोग द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न पत्रों का कृपया निर्देश करें। आप अवगत हैं कि राज्य सरकार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन वर्ग 3 के वेतनमान 6500–10,500 रु० से नीचे के वेतनमान वाले सभी सामान्य / प्रावैधिक / अप्रावैधिक सेवाओं / संवर्गों / पदों पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर की जानी है।

2. जिन संवर्गों / पदों / सेवाओं पर किसी विभाग द्वारा नियुक्ति कर कर्मियों की सेवा अन्य विभागों को उपलब्ध करायी जाती है, उन संवर्गों / सेवाओं / पदों के संबंध में सूचना नियुक्ति करनेवाले विभाग को देनी है। प्रत्येक संवर्ग / सेवाओं / पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव, अन्य कोई शर्त यदि हो तो, चयन का आधार, प्रतियोगिता परीक्षा के विषय एवं सिलेबस संबंधी सूचनाएँ प्रपत्र–1 में आवश्यक नियम / परिपत्रों के साथ आयोग को भेजी जानी है।

3. रिक्तियों की गणना करते समय वर्ग–4 के कर्मियों द्वारा प्रोन्नति से भरे जानेवाले पदों को घटा देना आवश्यक होता है। शेष पदों के लिए सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लियर कराकर आरक्षण कोटिवार सूचना प्रपत्र–2 में भेजी जानी है।

4. प्रमंडलीय एवं जिला तथा जिला स्तर के नीचे के नियुक्ति पदाधिकारी को विहित प्रक्रिया के अनुसार रोस्टर क्लियर कर रिक्तियों की सूचना प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करानी है तथा प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी के द्वारा तदनुसार रिक्ति संबंधित विभागों को उपलब्ध करानी है। विभागीय सचिव को मुख्यालय स्तर के पदों के लिए इसी प्रकार कार्रवाई करनी है तथा क्षेत्रीय पदों के लिए प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित रोस्टर के आधार पर संसूचित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए विभाग से संबंधित समेकित प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध कराना है।

5. प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आयोग को प्राप्त होनेवाले कई प्रस्ताव उपर्युक्त मार्गदर्शन के अनुसार नहीं होते हैं। अधियाचना विहित प्रपत्र में नहीं होती है या अपेक्षित सूचनाएँ पूर्ण नहीं होती हैं।

6. अतः अधियाचना का प्रारूप तथा प्रपत्र–1 एवं 2 पुनः संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग/अधीनस्थ कार्यालय में 6500–10,500 रु० से कम वेतनमानवाले वर्ग–3 के रिक्त पदों से संबंधित अधियाचना आयोग को भेजने की कृपा करें। अधियाचना भेजते समय निम्न बिन्दुओं पर कृपया विशेष ध्यान दिया जायः–

(i) अधियाचना विहित प्रपत्र में नियुक्ति पदाधिकारी को भेजनी है।

(ii) प्रत्येक संवर्ग/सेवा के लिए अलग–अलग अधियाचना भेजी जानी है। रोस्टर स्वच्छ कराकर अधियाचना भेजी जाय।

(iii) जो पद वर्ग–4 के कर्मियों से सीमित प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति हेतु चिह्नित हैं, ऐसे सभी पदों को छोड़कर ही सीधी नियुक्ति की अधियाचना भेजी जानी है। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधियाचना अलग से भेजी जाय।

(iv) अधियाचना के साथ न्यूनतम योग्यता एवं चयन के आधार के संबंध में नियम/परिपत्र/आदेश की प्रति अवश्य संलग्न की जानी है।

(v) अधियाचना प्रपत्र में सभी प्रविष्टियों को भली प्रकार भरा जाना है।

विश्वासभाजन

परमानन्द झा

सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञापांक–7/क०च०आ०–3–9–15/2006 का०–4262 पटना, दिनांक 12 मई, 2006

प्रतिलिपि– सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी सहित/सभी सहायक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

कुमार अंशुमाली

सरकार के उप सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए भेजे जाने वाले अधियाचना का प्रारूप

विभाग / कार्यालय प्रधान :–

1. पद / सेवा का नाम :
2. वेतनमान :
3. संवर्ग किस स्तर का है :
   राज्य स्तरीय / प्रमंडल स्तरीय / जिला स्तरीय आदि ।
4. नियुक्ति पदाधिकारी :
5. रिक्तियों की संख्या, जिनके लिए आयोग से अनुशंसा अपेक्षित है :–
   (i) अनुसूचित जाति
   (ii) अनुसूचित जनजाति
   (iii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग
   (iv) पिछड़ा वर्ग
   (v) पिछड़ा वर्ग की महिला
   (vi) सामान्य
   (vii) योग
6. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :
7. तकनीकी योग्यता यदि
   आवश्यक हो तो :
8. वांछनीय योग्यता यदि कोई हो तो :
9. अनुभव यदि आवश्यक हो तो :
10. आवास संबंधी अनिवार्यता यदि कोई हो तो :
11. आयु न्यूनतम –
    अधिकतम –
12. उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाना है–
    (i) केवल शैक्षणिक अंकों के आधार पर
    (ii) केवल लिखित परीक्षा के आधार पर
    (iii) केवल साक्षात्कार के आधार पर
    (iv) उपरोक्त में से किसी दो अथवा उससे अधिक के मिश्रण के आधार पर
    कृपया चयन के आधार के संबंध में विस्तृत विवरण अंकित करें, जिसमें विभिन्न खंडों के पूर्णांक अवश्य अंकित हो।
13. अन्यान्य :

नोट– चयन का आधार स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में उसे विभागीय सचिव / कार्यालय प्रधान के परामर्श से आयोग निर्धारित कर सकेगा।

विभागीय सचिव / कार्यालय
प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

कृपया निम्न संलग्न करें:–

1. रोस्टर क्लीयरेंस।
2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता, वांछनीय योग्यता के निर्धारण संबंधी नियम/आदेश/परिपत्र।
3. अनुभव यदि हो तो उससे संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
4. आवास संबंधी कोई अनिवार्यता हो तो उससे संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
5. चयन के आधार से संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
6. संबंधित संवर्ग/सेवा की नियुक्ति नियमावली/आदेश/परिपत्र।
7. अन्य (कृपया उल्लेख करें)।

प्रपत्र–1

वर्ग	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	अनुभव	अन्य कोई शर्त यदि हो तो	चयन का आधार	प्रतियोगिता परीक्षा के विषय, सिलेबस एवं प्राप्तांक	नियम/परिपत्र	नियुक्ति पदाधिकारी किस स्तर के हैं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र–2

वर्ग	कुल रिक्ति	वर्ग–4 से प्रोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियाँ	बी०पी०एस०सी० द्वारा विज्ञापित रिक्तियाँ	शेष रिक्तियाँ						अभ्युक्ति
				कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अ०पि०वर्ग	पिछड़ा वर्ग	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[15]

पत्र संख्या–3/एम–90/2005 का०–212

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पटना–15, दिनांक 23. 01. 2006

विषय : बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के सेवाओं/संवर्गों में भरती हेतु उम्र के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कट ऑफ डेट के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सेवाओं/संवर्गों में नियुक्ति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा लोक सेवा आयोग को समयानुसार वार्षिक रिक्ति के आधार पर अधियाचना नहीं भेजे जाने के कारण प्रतिवर्ष नियुक्ति की कार्रवाई नहीं होती है। इसके कारण एक ओर तो कई योग्य उम्मीदवारों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता है तो दूसरी ओर नियमित नियुक्ति नहीं होने से कार्मिक प्रबंधन में कठिनाई होती है और अनावश्यक विवाद के कारण मामला न्यायालय में लम्बित रह जाता है।

2. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–11013 दिनांक–17.06.77 द्वारा अधियाचना भेजने हेतु एक समय सारणी परिचारित की गई थी। उक्त परिपत्र के अनुसार प्रति वर्ष रिक्तियों का आकलन पहली अप्रील की स्थिति के अनुसार करते हुए 30 अप्रील तक अधियाचना आयोग को भेजी जानी थी। तदनुसार आयोग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन 15 जुलाई तक कर दिया जाना था। उक्त आधार पर नियुक्ति हेतु कट ऑफ डेट का निर्धारण 01 अगस्त किया गया था। परन्तु, हाल के वर्षों में उक्त समय सारणी का अनुपालन नहीं होने के कारण राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों में नियमित रूप से नियुक्ति की कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि रिक्तियों का आकलन प्रतिवर्ष किया जाए तथा तदनुसार आयोग को अधियाचना प्रतिवर्ष भेजना सुनिश्चित किया जाए। परन्तु, यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हो सके तो वैसी स्थिति में जो उम्मीदवार अंतिम विज्ञापन/परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे और उसके बाद भी अगले वर्ष या उसके बाद वाले वर्ष में भी परीक्षा होने पर परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर योग्य होते, परन्तु विज्ञापन नहीं होने के कारण अधिकतम उम्र सीमा पार कर जाते हैं और कालक्रम में अगली परीक्षा हेतु विज्ञापन निकालते

समय उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य हो जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों को ऐसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाए तथा मात्र उम्र के आधार पर अयोग्य होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाए।

4. इस संबंध में उदाहरणस्वरूप यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व में अंतिम विज्ञापन वर्ष 1994 में हुआ हो तथा वर्ष 1995 में या उसके बाद विज्ञापन नहीं हो सका हो तो ऐसे सभी उम्मीदवार, जो वर्ष 1995 में परीक्षा होने पर अधिकतम उम्र सीमा पार नहीं कर गए होते तथा उसके बाद के वर्षों में उम्र सीमा पार कर लेते हैं तो अगली परीक्षा यदि वर्ष 2000 में भी आयोजित हो तो उन्हें मात्र वर्ष 2000 की परीक्षा में भाग लेने हेतु उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाए ।

5. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन,

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

---

[16]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक 13. 01. 06

विषयः–राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि।

राज्य में बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 1600 दिनांक 04.02.91 के तहत राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा का पुनर्निर्धारण 31.12.95 तक के लिए, निम्न प्रकार किया गया था:–

(क)	अनारक्षित वर्ग	– 35 वर्ष
(ख)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष
(ग)	महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग (पुरुष एवं महिला)	– 40 वर्ष

2. अधिकतम आयु सीमा का उपर्युक्त रूप में पुनर्निर्धारण का अवधि विस्तार संकल्प सं० 2212 दिनांक 28.02.96 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2000 तक के लिए किया गया। तत्पश्चात् पुनः संकल्प सं० 5604 दिनांक 24.09.2001 के अन्तर्गत उसे 31.12.2005 तक के लिए प्रभावी किया गया।

3. सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा के उपर्युक्त रूप में पुनर्निर्धारण की प्रभावी अवधि दिनांक 31.12.2005 को समाप्त हो रही है, चूँकि राज्य में बेरोजगारी की समस्या बरकरार है और बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि ही हुई है, अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त रूप में सीधी भर्ती के लिए पुनर्निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को दिनांक

01.01.2006 से अगले पाँच वर्षों अर्थात दिनांक 31.12.2010 तक के लिए प्रभावी रखा जाय। तदनुसार 31.12.2010 तक के लिए सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार प्रभावी रहेगी:–

(क)	अनारक्षित वर्ग	– 35 वर्ष
(ख)	पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष
(ग)	महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग (पुरुष एवं महिला)	– 40 वर्ष

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन अयोग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3 / एम–1–35 / 2001–का०–125 पटना, दिनांक 13.01.06

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3 / एम–1–35 / 2001–का०–125 पटना, दिनांक 13.01.06

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

[17]

पत्र सं०–3/आर 01–03/2005–का०–2188

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकारी लोक उपक्रमों के प्रशासी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव

सरकारी लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक

पटना–15, दिनांक 08. 10. 05

विषय :– बिहार राज्य के बन्द पड़े या परिसमापन के लिए प्रस्तावित उपक्रमों/इकाइयों को चालू करने तथा विघटन में निहित लोक उपक्रमों के कर्मियों को विभिन्न विभागों में सामंजित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग के पत्रांक 1/प०अ० (ब्यूरो) लोक उपक्रमों में सुधार–1/2005–296 दिनांक 28.6.2005 के संदर्भ में कहना है कि जाँचोपरान्त यह पाया गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के अधीनस्थ लोक उपक्रमों के कर्मियों के समायोजन संबंधी उक्त परिपत्र कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किए बिना निर्गत किया गया है। इसके अलावा यह पाया गया है कि उक्त परिपत्र के आलोक में कार्रवाई करने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। अतः राज्य सरकार ने विचारोपरान्त वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग के उक्त पत्रांक 296 दिनांक 28.06.05 को एतद द्वारा उसके निर्गत की तिथि (28.06.05) के प्रभाव से ही निरस्त करने का निर्णय लिया है।

विश्वासभाजन

रविकान्त

सरकार के सचिव

---

[18]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

|| संकल्प ||

पटना–15, दिनांक 05. 10. 05

विषय :– सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 3/एम० 1–1097/90–11243–का० दिनांक 06 दिसम्बर, 1995 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग–3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निरूपित की गयी थी। उसमें यह व्यवस्था

की गयी थी कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग–3 के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा और शेष 50 प्रतिशत पद वर्ग–4 के कर्मचारियों से, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, भरे जायेंगे और प्रतियोगिता परीक्षाएँ बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित करेगा ।

2. इसके क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त होने पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया। विज्ञापन के आधार पर लगभग 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इस परिस्थिति में आयोग के अनुरोध के आधार पर विचारोपरान्त उपर्युक्त संकल्प संख्या 11243 दिनांक 06.12.95 में निरूपित प्रक्रिया को विलोपित करते हुए प्रमंडलीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन करने के प्रयोजन से संकल्प संख्या 4524 दिनांक 01.06.99 निर्गत किया गया। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त की निगरानी में परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। परीक्षा के सफल संचालन हेतु दिनांक 15.10.99 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित प्रमंडलीय आयुक्तों की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा कई प्रशासनिक एवं तकनीकी बिन्दुओं तथा मूलभूत सुविधाओं के अभाव का हवाला देते हुए परीक्षा के संचालन में व्यावहारिक कठिनाई व्यक्त की गयी। फलस्वरूप संकल्प सं० 1128 दिनांक 7 फरवरी, 2000 के तहत संकल्प संख्या 4524 दिनांक 01.06.99 को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग–3 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रमंडलीय स्तर पर निर्धारित परीक्षा, जो आयोजित नहीं की जा सकी, का संचालन आयोग के स्तर से करते हुए, चयन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तदनुसार परीक्षा संचालित की गयी और नियुक्ति हेतु अनुशंसा विभिन्न जिलों को भेजी गयी।

3. उपर्युक्त संकल्पों के संदर्भ में कतिपय जिलों/कार्यालयों/विभागों से तृतीय वर्ग के पदों पर नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया जाता रहा है। इसी बीच बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन हो गया है। इस आयोग को रु० 6500–10500/–(अथवा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से नीचे के वेतनमान वाले राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के अधीन समूह "ग" के सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने का अधिकार दिया है। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों के भी समूह "ग" के सभी प्रकार के पदों पर नियुक्ति इस आयोग की अनुशंसा पर ही हो सकती है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग संकल्प संख्या 11243 दिनांक 06.12.95 में निरूपित प्रक्रिया के अनुसार चयन की कार्रवाई कर रहा है।

4. अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि–

(1) समूह 'ग' के सभी प्रकार की सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों/पदों पर सीधी भर्ती और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही होगी।

(2) जिन संवर्गों के लिए भर्ती नियमावली लागू है उनके संदर्भ में ऐसी नियमावली में यथा प्रावधानित योग्यताओं/अर्हताओं के आधार पर चयन की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जायेगी। परन्तु जिन संवर्गों/पदों के लिए भर्ती नियमावली लागू नहीं है उनके संदर्भ में संकल्प संख्या 11243 दिनांक 6.12.95 में निर्धारित योग्यताओं/अर्हताओं के आधार पर चयन की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जायेगी।

(3) क्षेत्रीय कार्यालयों में सूमह "ग" के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद समूह "घ" के कर्मचारियों से सीमित प्रतियोगित्ता परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे।

(4) संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी सीधी भर्ती तथा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए आरक्षण

कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेंगे। नियुक्ति पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर आयोग परीक्षा का आयोजन करेगा और उसके आधार पर संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी को अनुशंसा करेगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

रविकान्त

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–61/2005–का०–2135 पटना–15, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

रविकान्त

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–61/2005–का०–2135 पटना–15, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविकान्त

सरकार के सचिव

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 अग्रहायण, 1917 (श०)

(सं० पटना, 508) पटना, बुधवार, 20 दिसम्बर, 1995

सं० 3/एम 1—1097/90—11243—का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

6 दिसम्बर, 1995

विषय— सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 3/एम 1—1097/90—का—5939, दिनांक 16 जून 1993 के द्वारा सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निरूपित की गयी है। निरूपित प्रक्रिया के बाद भी वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्य सरल एवं प्रभावकारी रूप से नहीं हो रहा है। इस संबंध में जिला कार्यालय के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कतिपय कठिनाइयों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। इन समस्याओं पर सम्यक् विचारोपरान्त इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी परिपत्रों को अवक्रमित करते हुए वर्ग 3 पदों पर नियुक्ति की निम्न प्रक्रिया निरूपित की जाती है :—

(1) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़कर क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग 3 के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से भरे जायेंगे।

(2) सीधी नियुक्ति के 50 प्रतिशत पदों तथा 50 प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से भरने के लिये अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी और उसके आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी।

सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया—

(3) बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन जिला स्तरीय केन्द्रों पर करेगा।

(4) सभी जिला स्तरीय केन्द्रों पर एक ही दिन परीक्षा का आयोजन होगा।

(5) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्तियों कलेंडर वर्ष के प्रारम्भ में उस वर्ष होने वाली संभावित कुल रिक्तियों की गणना की जायेगी। इन रिक्तियों को जिलावार आरक्षण अनुदेश के अनुसार कोटिवार रिक्तियों के रूप में आकलित किया जायगा।

(6) रिक्तियों की सूचना जिला पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नियुक्ति पदाधिकारी जिलावार आरक्षण कोटि के अनुसार आयोग को उपलब्ध करायेंगे।

(7) नियुक्ति हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण (मैट्रिक पास) होगी। समय—समय पर सरकार द्वारा सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु सीमा लागू होगी।

(8) लिखित परीक्षा तीन विषयों यथा हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं गणित में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र तीन घंटे का होगा तथा प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) का होगा। हिन्दी विषय में कम–से–कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा यह विषय मात्र योग्यता प्रदायी विषय रहेगा। शेष दो विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर ही मेधा सूची आरक्षणवार/कोटिवार तैयार की जायेगी।

(9) परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले उम्मीदवारों को सरकार की स्वीकृति से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। परीक्षा की तिथि एवं कार्यक्रम की घोषणा बिहार लोक सेवा आयोग (सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के माध्यम से) समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर लाएगी।

(10) इसमें आशुटंकक के पद छोड़कर सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग 3 के सभी पद आयेंगे चाहे उसके नियुक्ति पदाधिकारी राज्य स्तरीय, प्रमण्डलीय स्तर अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी हों।

(11) इस प्रतियोगिता परीक्षा में कार्यरत चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, बशर्ते वे नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएँ रखते हों एवं निर्धारित आयु सीमा के अन्दर हों।

(12) बिहार लोक सेवा आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची जिलावार अभ्यर्थियों के मूल आवेदन–पत्र एवं कागजातों के साथ सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को भेजेंगे। उक्त सूची के आधार पर जिला स्तरीय निम्नरूप से गठित समिति विभिन्न सरकारी विभागों में मेधानुक्रम एवं रिक्ति के अनुसार नियुक्ति हेतु आबंटन करेगी :–

(1) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष।

सदस्यगण

(2) विभिन्न प्रशासी विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों में से एक पदाधिकारी वर्षवार परिवर्तन (Yearwise Rotation) के आधार पर एक वर्ष के लिए एक बार।

(3) अनुसूचित जाति/जन–जाति के एक पदाधिकारी।

(4) अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी वर्षवार परिवर्तन (Yearwise Rotation) के आधार पर।

(5) पिछड़ी जाति वर्ग 1 एवं वर्ग 2 का एक प्रतिनिधि, वर्षवार परिवर्तन (Yearwise Rotation) के आधार पर।

(6) समाहरणालय के स्थापना उप–समाहर्ता – सदस्य सचिव ।

(13) जिन कार्यालयों में सफल अभ्यर्थियों का आबंटन होगा उनकी नियुक्ति करने का दायित्व उस कार्यालय के नियुक्ति पदाधिकारी पर होगा, जिसे सभी सम्बद्ध विभाग सुनिश्चित करेंगे और इसका उल्लंघन राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा।

(14) मेधा सूची का पैनेल एक वर्ष के लिये ही प्रभावी होगा। इसके आलोक में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष करना होगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग अग्रिम कार्यक्रम तैयार करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ही क्रमशः ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र लागू किये जाने पर विचार करेगा ताकि कम्प्यूटर के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल कम समय में तैयार हो जाय।

वर्ग 4 के सरकारी सेवकों द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षाः–

(15) क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग 3 के रिक्त 50 प्रतिशत पदों को वर्ग 4 के सरकारी सेवकों द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा

के आधार पर ही भरा जायेगा। इसके लिये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायगा। बिहार लोक सेवा आयोग सभी जिलों के इस तरह के रिक्त पदों के लिये वर्ष में एक बार एक ही दिन सभी जिला केन्द्रों के माध्यम से परीक्षा आयोजित करेगा।

(16) परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग आरक्षण के अनुसार जिलावार/कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगा और जिलावार अनुशंसा सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को भेजेगा।

(17) इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ग 4 के वे ही सरकारी सेवक सम्मिलित होने के हकदार होंगे जिनकी सेवा न्यूनतम पाँच वर्ष पूरी हो चुकी हो।

(18) आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्तियों के अनुसार मेधा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर कंडिका 12 में गठित समिति ही विभाग आबंटित करेगी तथा नियुक्ति पदाधिकारी को अभ्यर्थियों से संबंधित सभी मूल कागजात उक्त विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी को भेज देगी।

(19) सम्बद्ध कार्यालय के नियुक्ति पदाधिकारी जिला समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति आदेश निर्गत करेंगे।

(20) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिये हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान के साथ दो ही पत्र प्रत्येक 100 (एक सौ) अंक के होंगे। हिन्दी विषय मात्र योग्यता प्रदायी विषय होगा।

(21) इस प्रतियोगिता परीक्षा का पैनेल भी एक वर्ष के लिये ही प्रभावी रहेगा।

आदेश– (1) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

(2) यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय।

(3) राज्य सरकार के अधीन सभी स्वशासी बोर्ड, निकायों, निगमों, कम्पनियों एवं विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सभी स्तर की (वर्ग 4 एवं उसके समकक्ष पदों को छोड़कर) नियुक्तियाँ उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत होंगी। इसे सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध विभागों द्वारा आवश्यक अनुदेश तुरत निर्गत किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
एस० एन० विश्वास,
आयुक्त एवं सचिव।

पत्रांक–11/वि०–6–भा०स०–04/2002 का०–1700

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 24 अगस्त, 2005

विषयः– चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं महिला को सदस्य मनोनीत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के परिपत्र सं०–3/आर 1–103/73 का0–16441 दिनांक–03.12.80 द्वारा मुफस्सिल कार्यालय के चतुर्थ वर्गीय पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित रूप में समिति का गठन किया गया था:–

(1) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(2) जिला कल्याण पदाधिकारी – सदस्य

(3) जिला नियोजन पदाधिकारी – सदस्य

(4) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय विभिन्न कार्य विभागों के 3 (तीन) वरीय पदाधिकारी – सदस्य

(5) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय विकास कार्यों से संबंधित विभागों के 2 (दो) पदाधिकारी – सदस्य

2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार के पत्रांक–42011/15/95 ईस्ट (एस० सी० आई०) दिनांक–11.7.95 द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों की ग्रुप सी० एवं डी० की नियुक्तियों के लिए गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिला सदस्यों को रखने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली द्वारा अर्द्धसरकारी

पत्रांक–033/81/26/02–एन०सी०एम० दिनांक–6.9.2002 के तहत यह अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु गठित समितियों में भी उक्त वर्गों से एक–एक सदस्य को रखा जाय।

3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुरोध पर विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि मुफस्सिल कार्यालयों के चतुर्थवर्गीय (समूह घ के) पदों पर भर्ती हेतु कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के पत्रांक–16441 दिनांक 03.12.80 के आलोक में समिति गठित करते समय उपर्युक्त कंडिका–1 के क्रमांक–(4) एवं (5) के पदाधिकारियों में यथा संभव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यक/महिला सदस्यों को मनोनीत करने की कार्रवाई जिला पदाधिकारी करें।

4. कृपया राज्य सरकार के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

रविकान्त

सरकार के सचिव।

---

[20]

पत्र सं०–3/एम–042/2005–का०–956

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आर० एस० पासवान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना–15, दिनांक 27. 06. 05

विषयः–संविदा के आधार पर पंचायतराज संस्थाओं में नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर राज्यपाल के परामर्शी की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2005 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में हुई बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर उपलब्ध करायी जाती है।

कार्यवाही राज्यपाल के परामर्शी द्वारा अनुमोदित है। कृपया कार्यवाही के अनुसार, बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

आर० एस० पासवान

सरकार के संयुक्त सचिव

दिनांक 09.06.2005 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में राज्यपाल के परामर्शी की अध्यक्षता में संविदा के आधार पर पंचायतराज संस्थानों में नियुक्ति के संबंध में विचार–विमर्श सम्बन्धी बैठक की कार्यवाही।

<u>उपस्थिति:–</u>

1 श्री अरुण पाठक, राज्यपाल के परामर्शी
2. श्री जी. एस. कंग, मुख्य सचिव, बिहार, पटना
3. श्री जे० के० दत्ता, विकास आयुक्त, बिहार, पटना
4 श्री पी० एन० नारायणन्, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना
5. श्री मो. शकील अहमद, आयुक्त एवं सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना
6. श्री शिशिर सिन्हा, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
7. श्री नवीन वर्मा, सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग
8. श्री सुधीर कुमार राकेश, सचिव, ग्रामीण विकास (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायतीराज) विभाग
9. श्री रविकान्त, सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
10. श्री दीपक कुमार, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
11. श्री अरुण कुमार सिंह, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
12. श्री सैय्यद एहसान अहमद, निदेशक, कल्याण विभाग

विचार–विमर्श के क्रम में यह पाया गया कि संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा शक्तियाँ स्थानीय निकायों को प्रत्यायोजित की जानी हैं। उक्त आलोक में इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए इन संस्थाओं को कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में स्वायत्तता की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि जब विभिन्न विभागों द्वारा शक्तियाँ इन संस्थाओं को प्रत्यायोजित की जाती हैं और उक्त क्रम में यदि संविदा के आधार पर कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति भी इन संस्थाओं को दी जाती है तो वह निम्न शर्त्तों को ध्यान में रखकर दी जा सकती है :–

(1) राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता निर्धारित की जायेगी।

(2) संविदा के आधार पर की जाने वाली इन नियुक्तियों में भी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना होगा, जिसका संधारण नियुक्ति करने वाले प्राधिकार के स्तर पर किया जायगा।

(3) ऐसे कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित Minimum Wages Act के तहत देय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) चयनित कर्मियों के लिए प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के उपरान्त योग्यता जाँच का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा तथा प्रशिक्षण में योग्य/उत्तीर्ण व्यक्तियों की ही नियुक्ति स्थानीय निकायों द्वारा की जा सकेगी।

(5) प्रशिक्षण के दौरान देय भत्ता एवं मानदेय आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से संबंधित पंचायत/नगरपालिका के स्तर से किया जायगा।

(6) नियुक्ति में संबंधित पंचायत/नगरपालिका द्वारा उसके क्षेत्राधिकार में स्थायी रूप से रहने वाले स्थानीय

व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा ऐसी नियुक्ति एक माह की पूर्व सूचना के आधार पर समाप्त की जा सकेगी।

(7) ये नियुक्तियाँ प्रारंभ में एक बार में एक वर्ष के लिए तथा अधिकतम तीन वर्ष के लिए की जा सकेगी।

(8) चयन की कार्रवाई बिहार राज्य पंचायतराज अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के तहत निर्धारित शक्तियों के आलोक में संबंधित संस्थाओं के सक्षम प्राधिकार द्वारा की जायगी।

2. विचार–विमर्श के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायत शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति हेतु एक मानक नियमावली राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी है, जिसे सभी पंचायतों द्वारा Adopt किया गया है। उपर्युक्त आलोक में यह मत बना कि सभी संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा पंचायतराज संस्थाओं के द्वारा अन्य सभी पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु मानक नियमावली उपरोक्त के आलोक में तैयार की जाय, जिसे संबंधित पंचायत/नगरपालिका द्वारा Adpot कर इसे तदनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाये। इस मानक नियमावली के गठन हेतु संबंधित प्रशासी विभाग कृपया यथास्थिति (क) ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक पार्षद् योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)/नगर विकास विभाग एवं (ख) वित्त विभाग तथा (ग) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का मंतव्य प्राप्त कर लें। तत्पश्चात् नियमानुसार नियमावली का गठन करें।

---

[21]

पत्र संख्या–8/विविध–12–43/2004 का० 3690

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राय प्रमोद कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो०–बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना–14

पटना–15, दिनांक 02. 05. 2005

विषयः– चालक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय गैर सरकारी प्रेषण संख्या–641 दिनांक 16.07.2004 तथा 146/सी० दिनांक 22.11.2004 के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन एवं भारत सरकार में निर्धारित योग्यता के आलोक में सचिवालय विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफकार चालक/जीप चालक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य

सरकार ने निम्न प्रकार से अर्हता निर्धारित करने का निर्णय लिया है–

(1) शैक्षणिक योग्यता–न्यूनतम अष्टम वर्ग उत्तीर्ण,

(2) मोटर गाड़ी संचालन का वैध लाइसेंस,

(3) मोटर गाड़ी यंत्र की सामान्य जानकारी,

(4) उम्र सीमा–न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कोटिवार निर्धारित की जाय।

2. पूर्व में इस विभाग के संकल्प सं०–5939 दिनांक 18.06.93 की कंडिका–1(छ) के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी और पत्रांक–7003 दिनांक 31.07.97 के तहत उसे दुहराया गया था। तदनुसार एवं उपर्युक्त रूप में योग्यता निर्धारण के अनुसार चालक के पदों पर नियुक्ति हेतु गाड़ी चलाने की योग्यता की जाँच के आधार पर मेधा सूची तैयार की जा सकती है।

विश्वासभाजन

राय प्रमोद कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3690 पटना, दिनांक 02. 05. 2005

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राय प्रमोद कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव

---

[22]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः– राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।

राज्य में सेवाओं एवं पदों का वर्गीकरण पूर्व में जून, 1977 में और तत्पश्चात् चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त मार्च, 1986 में किया गया था। 31 मार्च, 1986 के संकल्प संख्या–3746 के अन्तर्गत सेवाओं/पदों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया गया :–

1. श्रेणी–1 वैसी सभी सेवाएँ और पद जिनका अधिकतम वेतन 2000/–रुपये या उससे अधिक हो।

2. श्रेणी–2 वैसी सभी सेवाएँ और पद जिनका अधिकतम वेतन 2000/– रुपये से नीचे हो परन्तु 1510/– रुपये से ऊपर हो।

3. श्रेणी–3 वैसी सभी सेवाएँ और पद जिनका अधिकतम वेतन 1510/–रुपये या उससे नीचे हो पर 480/–रुपये से अधिक हो। इसमें अधिकतम वेतन 480/–रुपये या उससे कम के वैसे पदों को भी सम्मिलित किया जाय जो विशेष रूप से श्रेणी–3 में सम्मिलित किये गये हों।

4. श्रेणी–4 वैसी सभी सेवाएँ और पद जिनका अधिकतम वेतन 480/– रुपये तक हो।

2. पंचम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त सेवाओं/पदों का पुनर्वर्गीकरण नहीं हो पाया। छठे वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन के पदों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जाता है :–

क्रमांक	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1	कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 13,500 रुपये से कम नहीं हो	समूह 'क'
2	कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 9000 रुपये से कम नहीं हो, परन्तु 13,500 रुपये से कम हो	समूह 'ख'
3	कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4000 रुपये से अधिक परन्तु 9000 रुपये से कम हो।	समूह 'ग'
4	कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4000 रुपये अथवा उससे कम हो।	समूह 'घ'

टिप्पणी– (1) अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' में समझे जायेंगे।

(2) "वेतन" शब्द से अर्थ पद का मौलिक वेतन (Basic pay) है और उसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं भत्ते आदि सम्मिलित नहीं होंगे।

3. यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तदनुकूल संशोधित कर लेगा। नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में वर्गीकरण संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए भी उपर्युक्त कंडिका–2 के अनुसार पुनर्वर्गीकरण लागू समझा जायेगा।

4. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

रविकान्त

सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम–1–1099/90–का०–9849 पटना–15, दिनांक 10.11.04

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

रविकान्त

सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम–1–1099/90–का०–9849 पटना–15, दिनांक 10.11.04

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रविकान्त

सरकार के सचिव

---

[23]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय:– राज्य सरकार के सेवकों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं०–1600 दिनांक 04.02.1991 के तहत सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की आयु–सीमा निर्धारित की गयी थी, जिसका अवधि विस्तार संकल्प संख्या 5604 दिनांक 26.9.2001 के द्वारा दिनांक 31.12.2005 तक के लिए किया गया है। उक्त आयु सीमा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियों एवं अन्य नियुक्तियों में समान रूप से लागू होती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं०–2533 दिनांक 26.02.91 द्वारा राज्य सरकार के सेवकों को बिहार अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा में 5 वर्षों की वृद्धि की गयी थी, परन्तु बिहार अवर सेवा चयन पर्षद विघटित हो चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के गठन के पश्चात इसके द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा में इस प्रकार की कोई वृद्धि का प्रावधान नहीं किया जा सका है।

अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के कर्मियों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सम्मिलित होने के लिए उक्त संकल्प सं०–1600 दिनांक 04.02.1991 एवं संकल्प सं०–5604 दिनांक 26.09.2001 द्वारा कोटिवार निर्धारित अधिकतम उम्र सीमाओं में 5 (पाँच) वर्ष की छूट दी जाय।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राय प्रमोद कुमार

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम०–54/2004–का०–9300 पटना–15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2004

प्रतिलिपि— अध्यक्ष, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित। अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

राय प्रमोद कुमार

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम०–54/2004–का०–9300 पटना–15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2004

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राय प्रमोद कुमार

सरकार के उप सचिव।

---

[24]

पत्र सं0–7/क०च०आ०–5–04/03 का०–7853

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग

प्रेषक,

मो० शरीफ आलम,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष,

कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

दिनांक 28. 10. 2003

विषय :— सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं०–2409/96 से उत्पन्न एम० जे०सी० सं०–1701/99, जगत नारायण सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–5421, दिनांक 04.08.03 एवं पत्रांक–6856, दिनांक 23.09.03 एवं आपके

पत्रांक–719 / सी0, दिनांक 22.10.03 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि वर्ग–4 के कर्मियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा मुफस्सिल लिपिक के पदों के विरुद्ध चयन हेतु दिनांक 15.11.03 तक सभी विभागों के आयुक्त / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को अधियाचना उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है। उक्त निर्धारित तिथि तक यदि किसी विभाग द्वारा अधियाचना नहीं भेजी जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाय तथा उपलब्ध अधियाचना के आलोक में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई नियमानुसार अपने स्तर से सुनिश्चित की जाय, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा सके।

विश्वासभाजन,

शरीफ आलम

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–7 / क०च०आ०–5–04 / 03–का०–7853 — दिनांक 28.10.2003

प्रतिलिपि– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शरीफ आलम

सरकार के उप सचिव।

---

[25]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :– बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित अवसरों की अधिकतम सीमा की समाप्ति।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–2141 दिनांक 21.02.86 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रतियोगी को अधिकतम तीन अवसर प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप संकल्प सं० 10824 दिनांक 17.08.91 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की अधिकतम सीमा को निम्न प्रकार से पुनर्निर्धारित किया गया :–

(क) अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए	–	चार अवसर
(ख) पिछड़ी / अत्यन्त पिछड़ी जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए	–	पाँच अवसर
(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति) के लिए	–	छह अवसर
(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए	–	अवसरों की कोई सीमा नहीं

2. राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि उत्तर–प्रदेश, मध्य–प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में प्रयासों/अवसरों की कोई सीमा नहीं है तथा निर्धारित आयु–सीमा/पात्रता रहने तक उम्मीदवार परीक्षा में बैठ सकते हैं। उक्त राज्यों से पत्राचार करने पर उक्त सूचना की संपुष्टि हुई है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यकरूपेण विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रयासों/ अवसरों की निर्धारित उक्त अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाय। तदनुसार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में निर्धारित आयु सीमा तक सम्मिलित होने के लिए प्रयासों/अवसरों की सीमा तात्कालिक प्रभाव से नहीं रहेगी।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

एस० आर० अस्थाना

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/आर 1–82/2003–6519 पटना–15, दिनांक 10.09.03

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 1000 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

एस० आर० अस्थाना

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/आर 1–82/2003–6519 पटना–15, दिनांक 10.09.03

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

एस० आर० अस्थाना

सरकार के सचिव

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख, 1925 (श०)

(सं० पटना, 214) पटना, शुक्रवार, 2 मई 2003

3/एम० 1–33/2001 का०–2082.

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

1 अप्रील 2003

विषय– फर्जी स्थानान्तरण–पदस्थापन आदेश और फर्जी नियुक्ति आदेश के आधार पर योगदान को रोकने में सतर्कता बरतने के संबंध में ।

राज्य सरकार के समक्ष फर्जी स्थानान्तरण–पदस्थापन आदेश और फर्जी नियुक्ति आदेश के आधार पर योगदान करने के कतिपय दृष्टान्त आये हैं। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे योगदान की रोकथाम और स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रोन्नति एवं प्रथम नियुक्ति के समय सतर्कता बरतने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूपेण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रोन्नति एवं नियुक्ति की कार्रवाई के समय सतर्कता बरतने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुपालन प्रत्येक संबंधित स्तरों पर सुनिश्चित किया जाय ताकि फर्जी स्थानान्तरण/पदस्थापन तथा फर्जी नियुक्ति आदेश के आधार पर योगदान को रोका जा सके:–

(I) **स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रोन्नति**

(i) स्थापना/ प्रोन्नति समिति के समक्ष विचारार्थ रखी जा रही सेवा विवरणी/संलेख में सबंधित कार्यालय/शाखा के संबंधित सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी/प्रधान सहायक का प्रत्येक पृष्ठ पर सतिथि पूर्ण हस्ताक्षर रहेगा और स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा जाँच कर यह प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि उन्होंने विवरणी में दिए जा रहे सभी तथ्य कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मिलान करने पर सही पाया है। स्थापना/प्रोन्नति समिति की कार्यवाही के अंग के रूप में उक्त सेवा विवरणी/संलेख संलग्न रहेगी। स्थापना समिति की विवरणी/संलेख कार्यवाही और तदनुसार निर्गत किये जानेवाले स्थानान्तरण/प्रोन्नति/ आदेश में हर पदाधिकारी/कर्मचारी का पहचान का कोड/कोटि क्रमांक अंकित रहेगा।

(ii) स्थानान्तरित/प्रोन्नत होकर योगदान देनेवाले कर्मियों का योगदान औपबंधिक रूप से स्वीकार कर उनसे कार्य लिया जा सकता है और 2 माहों तक औपबंधिक रूप से वेतन का भुगतान किया जा सकता है। इस बीच स्थानान्तरण/प्रोन्नति आदेश की सम्पुष्टि स्थानान्तरण आदेश निर्गमन पदाधिकारी/कार्यालय से तथा पूर्व पदस्थापन संबंधी सूचनाओं की सम्पुष्टि पूर्व पदस्थापन के कार्यालय से करा ली जाय। साथ ही उनकी सेवापुस्त और अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र योगदान देने के दो माहों के ही अन्दर प्राप्त कर लिया जाय।

(II) प्रथम नियुक्ति

कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के समय विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु–

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग नियुक्ति पदाधिकारियों की एक समेकित सूची तैयार कर जारी करेगा। हर विभाग प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर सभी कोषागारों को उपलब्ध करायेगा।

(ii) प्रत्येक राज्य स्तरीय नियुक्ति पदाधिकारी और प्रमंडलीय जिला स्तरीय नियुक्ति पदाधिकारी, उनके द्वारा की जा रही नियुक्तियों को समेकित रूप से क्रमशः राज्य स्तरीय राजपत्र और जिला स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंकों में प्रकाशित करने हेतु अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजेंगे जिसे राजपत्र के असाधारण अंकों में प्रकाशित किया जाएगा। राजपत्र की प्रतियाँ नियुक्ति पदाधिकारी अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/जिला पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर उन सभी कार्यालय प्रधानों को भेजेंगे, जहाँ नव नियुक्ति कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया है। गंतव्य कार्यालय के कार्यालय प्रधान राजपत्र से प्रथम नियुक्ति की मिलान करेंगे। प्रथम वेतन विपत्र के साथ राजपत्र की प्रति भी कोषागार भेजी जाय।

(iii) नयी नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग अथवा अन्य अनुशंसा करने वाली प्राधिकार से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति पदाधिकारी के यहाँ नव नियुक्ति कर्मचारियों का योगदान कराया जाय। योगदान के समय उनके मैट्रिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की जाँच की जाय । उनके हस्ताक्षार, हस्तलिपि की जाँच लोक सेवा आयोग/नाम अनुशंसा करने वाले प्राधिकार द्वारा अग्रसारित उनके परीक्षा के आवेदन–पत्र के आधार पर की जाय। उनसे उनके नाम लिखित फोटोग्राफ प्राप्त कर इसका मिलान लोक सेवा आयोग अथवा अनुशंसा करने वाले प्राधिकार द्वारा अग्रसारित कर उनके परीक्षा के आवेदन–पत्र के आधार पर की जाय। तदुपरान्त नियुक्ति पदाधिकारी के पूर्णतः संतुष्ट होने पर नव नियुक्ति कर्मचारियों को नियुक्ति–पत्र निर्गत किया जाय जिसमें उनके सत्यापित फोटोग्राफ चिपके रहें।

(iv) नियुक्ति पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे अनुशंसित कर्मचारियों के सभी प्रमाण–पत्रों से पूर्णतः संतुष्ट होकर ही नियुक्ति–पत्र निर्गत करें जिसमें उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ चिपके रहें। नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति पदाधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम होगा। साथ ही नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्त कर्मी के लिये दो प्रतियों में सेवा पुस्त खोलेंगे। नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ सेवा पुस्त की एक प्रति संबंधित प्रधान को भेजी जायगी।

(v) नियुक्ति–पत्र निर्गत हो जाने पर योगदान लेने वाले पदाधिकारी नियुक्ति पत्र की सत्यता निर्गत नियुक्ति–पत्र के फोटोग्राफ और नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजी गई सेवा–पुस्त से सुनिश्चित कर लें। योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति–पत्र से संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारियों का योगदान 3 माहों के लिये औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 माहों के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव–नियुक्ति कर्मचारी की वेतन निकासी तबतक नहीं की जायेगी जबतक नियुक्ति की

सम्पुष्टि नहीं हो जाती।

(vi) प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति–पत्र की अभिप्रमाणित फोटो प्रति कोषागार में भेजी जायेगी जिससे नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी कोषागार में पूर्व से उपलब्ध हस्ताक्षर से कर लेंगे।

(vii) नव नियुक्ति कर्मचारियों का 3 माहों के अन्दर सामान्य भविष्य निधि लेखा अवश्य खोल दिया जाय।

(III) **वार्षिक सत्यापन**

(i) प्रत्येक वर्ष संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से जून माह के वेतन की निकासी की सत्यापित प्रति प्राप्त कर संबंधित विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेंगे जिसके आधार पर नियुक्ति पदाधिकारी संतुष्ट होंगे कि सभी कार्यालय में नियमित रूप से नियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुसार ही वेतन निकासी हो रही है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा विस्तृत अनुदेश कोषागार पदाधिकारियों सहित सभी को अलग से निर्गत किया जाय।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) से तकनीकी परामर्श प्राप्त कर इस प्रकार की व्यवस्था बनायेंगे कि सभी नियुक्ति पदाधिकारियों के द्वारा की जानेवाली नियुक्तियों में सभी कर्मचारियों को अधिकतम 8 Digit का Unique Identification Number मिल जाय। यह ID Number संबंधित कर्मचारी की सेवा के दौरान सभी आदेशों जैसे कि नियुक्ति आदेश, स्थानान्तरण आदेश, प्रोन्नति आदेश, जी० पी० एफ० और पेंशन आदि में प्रयोग किया जाय।

(iii) भविष्य में सभी विभागों के द्वारा अपने सभी सेवा संवर्गों के कर्मचारियों के सेवा रेकार्ड का कम्प्यूटर के डाटाबेस बनाने के प्रयास किए जाएँ।

3. फर्जी नियुक्ति पत्रों / फर्जी स्थानान्तरण आदेशों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा तुरत समाप्त करने की कार्रवाई की जिम्मेवारी नियुक्ति पदाधिकारी पर होगी और वे उपर्युक्त कार्रवाई के फलाफल से संबधित विभाग को अवगत करायेंगे।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

रघुनन्दन प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्र संख्या–3/एम1–19/2001 का०–7805

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

एस० एन० विश्वास,

मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 23 सितम्बर, 2002 ई०

विषय :– चतुर्थवर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया ।

महाशय,

कृपया पत्रांक–3/एम 1–101/97 का०–3577, दिनांक 25.04.97 का निर्देश किया जाय।

वर्ग–4 के पदों पर नियुक्ति के लिए जिन आधारों एवं प्रक्रियाओं का निरूपण उक्त पत्र द्वारा किया गया है उनमें से बिन्दु–2 के अन्तर्गत यह निर्धारित है कि "इनकी शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग के ऊपर एवं प्रवेशिका या इससे नीचे की होगी।" माननीय पटना उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा सी0 डब्लू० जे० सी० नं०–5310/98 (विभाष कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 06.12.99 को पारित आदेश [2000 (1) पी०एल०जे०आर०–787] में यह कहा गया है कि उक्त परिपत्र में वर्ग–4 में शैक्षणिक योग्यता की सीमा का निर्धारण भारत–संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है और यह निदेश दिया गया है कि सरकार उसे पुनरीक्षित करे। तत्पश्चात् एल०पी०ए० नं०–1020/2001 (लक्ष्मी चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 05.11.2001 को पारित आदेश में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण वैध है और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। वर्णित स्थिति में उक्त परिपत्र में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाले अंश को विलोपित करने हेतु उक्त परिपत्र के बिन्दु–2 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

2. अतः माननीय पटना न्यायालय के उक्त आदेशों के आलोक में उपर्युक्त पत्रांक–3577 दिनांक 25.04.97 के बिन्दु–2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
इनकी शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग के ऊपर एवं प्रवेशिका या इससे नीचे की होगी ।	इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण होगी।

पत्रांक 3577 दिनांक 25.04.97 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन

एस० एन० विश्वास

मुख्य सचिव

Letter No. 3/M1-19/2001 - ka- 7805

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

From ,

S.N. Biswas,

Chief Secretary,

Government of Bihar .

To,

All Departments of Government

All Heads of the Department

All Divisional Commissioners

All District Magistrates.

Patna-15, Dated 23 September, 2002

Subject:- Basis and procedure for appointment to Class -IV posts- Regarding.

Sir,

Kindly refer to the letter no. 3/M1-101/97 ka-3577 dated 25.04.97.

The basis and procedure for appointment to class-4 posts was laid down in the said letter at point-2 i.e. " the educational qualification shall be above class- VIII and Matric or below it." The Hon'ble Single Bench of Patna High Court has been pleased to pass an order on 06.12.99 in C.W.J.C. No. 5310/98 : Bivash Kumar Vrs. State of Bihar and others [2000 (1) PLJR 787] that the educational qualification for appointment to class-4 posts determined under the aforesaid letter is contrary to Article- 14 of the Constitution of India and had directed to revise the same. Thereafter it has been made clear by the Hon'ble Division Bench of the Patna High Court in its order dt. 05.11.2001 in L.P.A. No. 1020/ 2001 : Laxmi Chaudhary Vrs. State of Bihar and others that the minimum qualification determined under the aforesaid letter is legal and it is not contrary to Article-14 and 16 of the Constitution of India. Under these circumstances it has become necessary to delete the portion with respect to determination of maximum qualification.

2. Therefore, in light of the aforesaid orders of the Hon'ble Patna High Court, the point-2 of letter no. 3577 dated 25.04.97 is amended as under-

Present provision	Amended Provision
The educational qualification shall be above eighth class and matric or below it.	**The minimum educational qualification shall be Eighth pass.**

The other provisions of the letter no. 3577 dt. 25.04.97 shall remain the same.

Yours' faithfully

S.N. Biswas

Chief Secretary

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

विषयः— सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु—सीमा में वृद्धि।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 1600 दिनांक— 04.02.91 द्वारा सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा निम्न प्रकार से निर्धारित कर उसे 31.12.95 तक प्रभावी रखा गया था।

1.	अनारक्षित	—	35 वर्ष
2.	पिछड़ा / अत्यंत पिछड़ा वर्ग	—	37 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	—	38 वर्ष
4.	अनु० जाति / अनु० जन जाति (पुरुष एवं महिला वर्ग)	—	40 वर्ष

2. राज्य में बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य—सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2212 दिनांक 28.02.96 द्वारा उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु—सीमा को दिनांक 31.12.2000 तक प्रभावी बनाया था।

3. चूँकि बेरोजगारी की समस्या बरकरार है और बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि ही हुई है, अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त रूप में निर्धारित अधिकतम आयु—सीमा दिनांक 01.01.2001 से अगले पाँच वर्षों अर्थात दिनांक 31.12.2005 तक प्रभावी रहेगी।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

वैद्यनाथ प्रसाद

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक — 3 / एम 1—35 / 2001—का०—5604 पटना—15, दिनांक 24 सितम्बर, 2001

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित।

अनुरोध है कि इसकी 1000 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

वैद्यनाथ प्रसाद

सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 3 / एम० 1—35 / 2001— का०—5604 पटना—15, दिनांक 24 सितम्बर, 2001

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वैद्यनाथ प्रसाद

सरकार के उपसचिव।

पत्र संख्या–3/वि०–09/2001 का०–3394

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री हारून रशीद,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

विकास आयुक्त, बिहार

सभी विभाग के आयुक्त–सह –सचिव

सभी जिला पदाधिकारी

सभी उप विकास आयुक्त

पटना–15, दिनांक 21 जून, 2001

विषयः–वित्तीय वर्ष 1999–2000 के रिक्त पदों पर वर्ग–3 एवं चतुर्थवर्गीय नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि उक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अपर सचिव की ओर से निर्गत दिखाया गया कथित पत्रांक–1072 दिनांक 31. 01. 2001 इस विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है और पत्र जाली है।

अतः कृपया उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाय।

विश्वासभाजन

हारून रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/वि०–09/2001 का०–3394 पटना–15, दिनांक 21 जून, 2001

प्रतिलिपि– श्री संजय कुमार, अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

हारून रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव।